

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांक: एफ.3(7)(1)स्था/भूजल/19/26

दिनांक:- 17/11/2019

-::कार्यालय आदेश::-

राजस्थान सेवा नियम 56(क) के अन्तर्गत इस विभाग के वर्ष 2019-2020 में निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने अंकित जन्मतिथि के अनुसार अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृति के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं।

क्र.स	नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	पद	सेवा	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि	पदस्थापन
1	कैलाश बिहारी भट्ट	अति. प्रशा. अधिकारी	मंत्रालयिक सेवा	26.03.1960	31.03.2020	अधीक्षण अभियन्ता(के.भ.), भू जल विभाग, जोधपुर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सूरजभान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता,


भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांक: एफ.3(7)(1)स्था/भूजल/19/26

दिनांक:- 17/11/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
2. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता(के.भ.), भू जल विभाग, जोधपुर ।
4. कोषाधिकारी, जोधपुर।
5. ए.पी.ए.शाखा/पेंशन शाखा/जांच शाखा/ स्वीकृत पद शाखा, मुख्यालय जोधपुर ।
6. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाइट एवं चरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक,(डी.एस.पी.सी.)भू जल विभाग, जोधपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कर्मचारी।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।



(सूरजभान सिंह) 19  
मुख्य अभियन्ता,

भू जल विभाग, जोधपुर

Sh. S. Mohits  
20/11/19  
27/11/19